छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

12

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 27/10/2015

क्रमांक एफ 7–8/2008/20–एक (तीन) :: राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमशः जिला नारायणपुर, बीजापुर एवं दुर्ग जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के संचालन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

उक्त केन्द्रों के संचालन पर होने वाला व्यय भार "मांग संख्या 27, स्कूल शिक्षा विभाग (2202) सामान्य शिक्षा (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण (0701) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना" के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या एफ–2015–20–00369/बी–3/चार, दिनांक 10.04.2015 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7–8/2008/20–एक (तीन) नया रायपुर, दिनांक 27/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.

....2

5. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
6. सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
7. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
8. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
9. सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
10. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
11. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, नया रायपुर ।
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
13. संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर,
14. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
15. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर,
16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, छ.ग.
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

18. आर्डर बुक ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

न्यायालय कलेक्टर जिला दुर्ग (छ0ग0)
आदेश

क्रमांक / /प्र0कले0 / 2015 दुर्ग, दिनांक /0 /2015

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 04 / अ–19 (3) वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30/03/2015 के अनुसार ग्राम–अछोटी प0ह0नं0 44 रा0नि0मं0 अहिवारा तहसील–धमधा जिला दुर्ग स्थित शासकीय घांस मद की भूमि खसरा नम्बर 1546 रकबा 7.350 हे0 में से 10.00 एकड़ (4.00 हे.) भूमि को छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (3) सहपठित धारा 234 के तहत निस्तार पत्रक में घांस मद से पृथक कर छ0ग0शासन शिक्षा विभाग को छ0ग0शासन राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुरं के आदेश क्रमांक एफ–4–135 / सात–1 / 06 रायपुर दिनांक 10.08.2006 के परिपालन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि आबंटित की जाती है ।

कलेक्टर, 30/3/15
कलेक्टर,
दुर्ग

पृ0क्रमांक / 5387 /प्र0कले0 / 2015 दुर्ग, दिनांक 06/04/2015
प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ–17–69 / 2012 / 20–1 रायपुर दिनांक 17.06.2013 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
02. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8967 / भवन / डाइट दुर्ग / 2014 दुर्ग दिनांक 19.02.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
04. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा, मुख्यालय दुर्ग ।
05. अतिरिक्त तहसीलदार अहिवारा तहसील धमधा जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कार्या. जि. शि. अ. दुर्ग (छ. ग.)
पत्र क्रमांक 1653
7 APR 2015
भवन
सहा. संचा. जि. शि. अ.

न्यायालय कलेक्टर दुर्ग (छ.ग.)

कलेक्टर,
कलेक्टर,
दुर्ग

(67)

(1)

(१२५)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 28/10/2015

क्रमांक एफ 7–8/2008/20–एक (तीन) :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.10.2015 के द्वारा निम्नांकित जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत 03 डाईट संस्थानों के निजी भवन निर्माण होने तक, अस्थायी तौर पर इन संस्थाओं का संचालन उनके नाम के सम्मुख अंकित भवनों में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

नवीन डाईट संस्थान का नाम	संचालन हेतु अस्थायी भवन का नाम
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर	शासकीय शहीद वेंकटराव महाविद्यालय प्रथम तल, बीजापुर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नारायणपुर	शासकीय हाई स्कूल सिंगोडीतरई, नारायणपुर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अछोटी, जिला दुर्ग	शासकीय प्राथमिक शाला कसारीडीह (सिविल लाईन–दुर्ग)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7–8/2008/20–एक (तीन) नया रायपुर, दिनांक 28/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.

....2

5. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
6. सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
7. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
8. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
9. सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
10. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
11. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, नया रायपुर ।
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
13. संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर,
14. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
15. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर,
16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, छ.ग.
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

18. आर्डर बुक ।

(signature)

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग